सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 72 राँची, शनिवार, 10 पौष, 1938 (श०) / 31 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

14 दिसम्बर, 2016

कृपया पढ़े:-

1. माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड का गै०स०प्रे० सं०-38, दिनांक 28 जुलाई, 2016
2. माननीय विधायक, बोकारो, श्री बिरंची नारायण का पत्र, दिनांक 27 जुलाई 2016
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-6750, दिनांक 4 अगस्त, 2016 एवं पत्रांक- 8372, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-89/2016 का.-10640-- श्री शशिधर मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-556/03, गृह जिला- भागलपुर), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के विरूद्ध माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड का गै०स०प्रे० सं०-38, दिनांक 28 जुलाई, 2016 के माध्यम से माननीय विधायक, बोकारो, श्री बिरंची नारायण का पत्र, दिनांक 27 जुलाई, 2016 उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप है कि माननीय

विधायक, बोकारो, श्री बिरंची नारायण द्वारा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद में पदस्थापित प्रबंध निदेशक, श्री शशिधर मंडल, झा०प्र०से० के मोबाईल पर फोन करने पर उनका फोन रिसीव नहीं किया गया । श्री बिरंची नारायण द्वारा प्रबंध निदेशक को उनके मोबाईल पर मैसेज भी प्रेषित किया गया, बावजूद इसके इसका कोई प्रत्युत्तर प्रबंध निदेशक की ओर से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और न ही उनसे सम्पर्क करने की कोशिश प्रबंध निदेशक ने की । यह घटना घोर आपत्तिजनक है और किसी प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा चुने हुए जन-प्रतिनिधि के साथ अशोभनीय आचरण का परिचायक है ।

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा भी प्रबंध निदेशक के दोनों मोबाईल नम्बरों यथा 9470368611 तथा 9431381181 पर दिनांक 28 जुलाई, 2016 को क्रमशः 11 बजकर 01 मिनट पूर्वाह्न तथा 11 बजकर 04 मिनट पूर्वाह्न पर फोन करके सम्पर्क करने की कोशिश की गयी, परन्तु प्रबंध निदेशक द्वारा फोन नहीं उठाया गया और न ही कॉल बैक करके इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी । माननीय मंत्री द्वारा प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह और असंवेदनशील रहने के कारण उनसे एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त कर संसूचित करने का अनुरोध किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-6750, दिनांक 4 अगस्त, 2016 एवं पत्रांक-8372, दिनांक 27 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में पत्रांक-12/गो०, दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि मोबाईल नं०-9470368611 इनका नहीं हैं । अन्य स्रोत से इस संबंध में जानकारी मिलते ही दिनांक 29 जुलाई, 2016 की संध्या माननीय विधायक से दूरभाष पर संपर्क कर उक्त मोबाईल नंबर इनके नहीं होने की जानकारी दी गयी । साथ ही, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा मोबाईल नं०-9431381181 पर किये गये फोन रिसीव नहीं किये जाने के संबंध में इनका कहना है कि धनबाद में बी०एस०एन०एल० की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता है । इस कारण संभवतः उक्त कॉल इनके मोबाईल फोन पर प्रदर्शित नहीं हुई ।

श्री मंडल द्वारा मोबाईल नं०-9431381181 के संबंध में यह अंकित किया गया कि दूरभाष सं०-9431381181 में उक्त तिथि को न तो कॉल आया था और न ही मिस कॉल ही था। माननीय मंत्री महोदय का दूरभाष सं०-9471170001 मेरे मोबाईल में सेभ है, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है कि कॉल आने या मिस कॉल रहने पर वार्ता नहीं की जाती है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा अवश्य ही सम्पर्क किया गया होगा, किन्तु

बी०एस०एन०एल० नेटवर्क की समस्या जो कि धनबाद में आये दिन खराब ही रहती है तथा क्रॉस कनेक्शन की शिकायत भी रहती है, जिस कारण फ़ॉल्स रिंग हुआ होगा जो मेरे मोबाईल सेट में रिंग नहीं बजी एवं न तो फोन नम्बर ही प्रदर्शित हुआ, जिसके कारण माननीय मंत्री महोदय से वार्ता नहीं हो पाई। यह समस्या पूर्णतः तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुई होगी । साथ ही, श्री मंडल द्वारा आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया ।

श्री मंडल के विरूद्ध आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा माननीय विधायक, श्री बिरंची नारायण का फोन रिसीव नहीं किया गया एवं न ही उनके SMS का जवाब दिया गया, जिससे माननीय विधायक बहुत आहत हुए एवं इसकी शिकायत माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार को किया गया । माननीय मंत्री के द्वारा फोन किये जाने पर भी प्रबंध निदेशक द्वारा फोन नहीं उठाया गया न ही कॉल बैक किया गया ।

समीक्षोपरान्त, श्री शशिधर मंडल, झा०प्र०से०, प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 72--50